Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में डिस्कॉम का तकनीकी सहायक–द्वितीय (लाईनमैन) 4 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *02 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **उपेन्द्र कुमार कुशवाह तकनीकी सहायक–द्वितीय (लाईनमैन) कार्यालय सहायक अभियंता, टोड़ारायसिंह, जिला टोंक** को परिवादी से **4 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि घरेलु कनेक्शन करने की एवज में आरोपी उपेन्द्र कुमार कुशवाह तकनीकी सहायक–द्वितीय (लाईनमैन) कार्यालय सहायक अभियंता, टोड़ारायसिंह, जिला टोंक द्वारा **8 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री झाबर मल** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी उपेन्द्र कुमार कुशवाह तकनीकी सहायक–द्वितीय (लाईनमैन) कार्यालय सहायक अभियंता, टोड़ारायसिंह, जिला टोंक को परिवादी से **4 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा परिवादी से शिकायत करने से पूर्व ही **3 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**